

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 11.03.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
बाड़मेर, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, कोटा,
पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर, राजसमन्द

विषय :- उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति वर्ग (कक्षा 11 व 12) योजना में अतिरिक्त बजट आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति वर्ग (कक्षा 11 व 12) के गत वर्षों एवं 2019-20 वर्ष के छात्रवृत्ति से शेष रहे विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन राज्य निधि का वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) को उनके द्वारा की गई मांग के आधार पर लेखामद 2225-01-789-01-00 13 राज्य निधि में उनके सामने अंकितानुसार बजट प्रत्याहरित कर आवंटित किया जाता है :-

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	राशि जो प्रत्याहरित की जानी है	लाभार्थियों की संख्या	अति. बजट आवंटन
1	BARMER	13976	-	-	282900
2	DUNGARPUR	20897	69000	-	-
3	JALORE	14459	70420	-	-
4	JODHPUR	13122	-	-	179400
5	KOTA	21597	-	-	246100
6	PALI	15571	444780	-	-
7	SIROHI	14800	-	-	172500
8	S.MADHOPUR	8468	446200	-	-
9	RAJSAMAND	18401	-	-	149500
TOTAL			1030400	-	1030400

(अखरे रूपये दस लाख तीस हजार चार सौ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
4. अतिरिक्त राशि का आवंटन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों, माध्यमिक (मुख्यालय) के द्वारा की गई मांग के आधार पर किया गया है। वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।

(बी.डी. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 11.03.2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर

2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 03.03.2020

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर, बीकानेर

विषय :- उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जनजाति (कक्षा 11 व 12) योजना में अतिरिक्त बजट आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जनजाति (कक्षा 11 व 12) के गत वर्ष एवं 2019-20 वर्ष के छात्रवृत्ति से शेष रहे विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन केन्द्रीय सहायता का वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) को उनके द्वारा की गई मांग के आधार पर लेखामद 2225-02-796-06-01 13 केन्द्रीय सहायता में उनके सामने अंकितानुसार बजट प्रत्याहरित कर आवंटित किया जाता है :-


क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	राशि जो प्रत्याहरित की जानी है	अति. बजट आवंटन
1	AJMER	16289	6680	-
2	JALORE	14459	17140	-
3	SAWAI MADHOPUR	8468	1040	-
4	BIKANER	3735	-	25300
TOTAL			24830	25300

प्रत्याहरित राशि - (अखरे रूपये चौबीस हजार आठ सौ तीस मात्र)

आवंटित राशि - (अखरे रूपये पच्चीस हजार तीन सौ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

- राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
- छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
- छात्रवृत्ति की राशि का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
- अतिरिक्त राशि का आवंटन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों, माध्यमिक (मुख्यालय) के द्वारा की गई मांग के आधार पर किया गया है। वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
- किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।



(बी.डी. शर्मा)

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

दिनांक : 03.03.2020

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

प्रतिलिपि :-

- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
- सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
- उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
- लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 11.03.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
~~बीकानेर, क्यूबेसी दास्ता~~

विषय :- उत्तर मैट्रिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (कक्षा 11 व 12) योजना में अतिरिक्त बजट आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आर्थिक पिछड़ा वर्ग (कक्षा 11 व 12) के गत वर्षों एवं वर्ष 2019-20 के छात्रवृत्ति से शेष रहे विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन केन्द्रीय सहायता का वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) को उनके द्वारा की गई मांग के आधार पर लेखामद 2235-02-196-22-06 13 केन्द्रीय सहायता में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-


(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	ऑफिस आई.डी.	जिला का नाम	अति. बजट आवंटन
1	8914	DAUSA	1600
		TOTAL	1600

(अखरे रूपये एक हजार छः सौ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

- राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
- छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
- छात्रवृत्ति की राशि का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
- अतिरिक्त राशि का आवंटन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों, माध्यमिक (मुख्यालय) के द्वारा की गई मांग के आधार पर किया गया है। वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
- किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।



(बी.डी. शर्मा)

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 11.03.2020

- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
- सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
- उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
- लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 11.03.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौरगढ़, डूंगरपुर,
जालौर, सवाई माधोपुर, सिरोही

विषय :- उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति वर्ग (कक्षा 11 व 12) योजना में अतिरिक्त बजट आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति वर्ग (कक्षा 11 व 12) के गत वर्षों एवं 2019-20 वर्ष के छात्रवृत्ति से शेष रहे विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन केन्द्रीय सहायता का वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) को उनके द्वारा की गई मांग के आधार पर लेखामद 2225-01-789-01-00 13 केन्द्रीय सहायता में उनके सामने अंकितानुसार बजट प्रत्याहरित कर आवंटित किया जाता है :-

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	राशि जो प्रत्याहरित की जानी है	अति. बजट आवंटन
1	AJMER	16289	-	11500
2	BANSWARA	21127	116040	-
3	BUNDI	17137	-	4310200
4	CHITTAURGARH	21402	-	3617900
5	DUNGARPUR	20897	16100	-
6	JALORE	14459	132460	-
7	S.MADHOPUR	8468	171400	-
8	SIROHI	14800	-	2208000
TOTAL			436000	10147600

प्रत्याहरित राशि - (अखरे रूपये चार लाख छत्तीस हजार मात्र)

आवंटित राशि - (अखरे रूपये एक करोड़ एक लाख सैंतालिस हजार छः सौ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
4. अतिरिक्त राशि का आवंटन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों, माध्यमिक (मुख्यालय) के द्वारा की गई मांग के आधार पर किया गया है। वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।

(बी.डी. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 11.03.2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी,(योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक 11.03.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

कोटा, ~~सिरोही~~ राजसमंद

विषय :- उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 11 व 12) योजना में अतिरिक्त बजट आवंटन।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 11 व 12) के गत वर्ष एवं 2019-20 वर्ष के छात्रवृत्ति से शेष रहे विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन राज्य निधि का वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) को उनके द्वारा की गई मांग के आधार पर लेखामद 2225-03-277-02-00 13 राज्य निधि में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	अति. बजट आवंटन
1	KOTA	21597	80000
2	RAJSAMAND	18401	3200
TOTAL			83200

(अखरे रूपये तैरासी हजार दौ सौ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
4. अतिरिक्त राशि का आवंटन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों, माध्यमिक (मुख्यालय) के द्वारा की गई मांग के आधार पर किया गया है। वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।


(बी.जी. शर्मा)


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 11.03.2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर